ई. माइकल राज

बनाम

इंटेलिजेंस ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

(अपराधिक अपील संख्या 1250 वर्ष 2005)

मार्च 11, 2008

(पी.पी. नाओलेकर और लोकेश्वर सिंह पंत, जेजे.)

नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्राॅपिक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001- का उद्देश्य-अवधारित: दंड संरचना को तर्कसंगत बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वापक औषधि के तस्कर जो महत्वपूर्ण मात्रा में औषधि की तस्करी करते हैं, उन्हें निवारक सजा दी जाए, नशे की लत और जो व्यक्ति कम गंभीर अपराध करने वाले है, को कम गंभीर सजा दी जाए - तर्कसंगत दंड के अधीन, सजा आपत्तिजनक सामग्री की मात्रा के आधार पर भिन्न होती है- विधि की व्याख्या विधायी आशय-सजा/सजा का युक्तियुक्तकरण

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित) - धारा 2 (xxiiia), 2 (viia), 2 (xvi) (e), 2 (xi) 8 और 21 - अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 - प्रविष्टि 56

दंड देना - आधार - अवधारित.. आपत्तिजनक पदार्थ की मात्रा के आधार पर अधिनियम में प्रावधान है - अल्प, मध्यवर्ती और व्यावसायिक मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री रखने पर अनुपातिक दंड का प्रावधान है- दंड / दंड का युक्तियुक्तकरण

स्वापक औषधियों की मात्रा - का निर्धारण - अवधारित मात्रा निर्धारित करने के लिए, केवल स्वापक औषधि के वजन के अनुसार वास्तविक सामग्री प्रासंगिक है ना कि सामग्री का कुल वजन - तथ्यों पर, अभियुक्तगण से जब्त की गयी प्रतिबंधित सामग्री की कुल मात्रा 4.07 किलोग्राम थी - स्वापक औषधि की प्रतिशत मात्रा 60 ग्राम थी जो अल्प मात्रा 5 ग्राम से अधिक है परंतु वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से कम है - इस प्रकार अभियुक्त अधिनियम की धारा 21(बी) के अधीन दंडनीय था - इसके अतिरिक्त, अभियुक्त केवल एक वाहक था और सरगना नहीं - इन परिस्थितियों मेें यदि सजा को जुर्माने के साथ 6 साल के कठोर करावास तक कम कर दिया जाए तो न्याय का उद्येश्य पूरा होगा।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अभियुक्त की अभिरक्षा से एक बैग बरामद किया गया था जिसमें प्रतिबंधित सामग्री के दो पैकेट थे। अधिकारियों ने दोनों पैकेट से पांच-पांच ग्राम का नमूना लिया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री में 1.4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत हेरोइन थी। एनडीपीएस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश ने पाया

कि अभियुक्त के कब्जे में पाया गया पदार्थ एक अफीम व्युत्पन्न था और चूंकि विनिर्मित औषधि का वजन 4.07 किलोग्राम था, यह एक वाणिज्यिक मात्रा होने के कारण धारा 21(सी) के अधीन आएगा लेकिन चूंकि अभियुक्त केवल वाहक था और लेनदेन का लाभार्थी नहीं था, उसे अधिकतम सजा नहीं दी जाएगी और न्यूनतम सजा दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना तथा जुर्माने का भुगतान नहीं किये जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गयी दोषसिद्धि और दंड को बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंड विधि के विपरीत है क्योंकि उसके पास से जब्त की गयी तस्करी की कुल मात्रा 4.07 किलोग्राम थी और चूंकि दो नमूनों में हेरोइन की शुद्धता क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत थी इसलिए कब्जे में हेरोइन की मात्रा केवल 60 ग्राम थी यानी (1.4+1.6)/2=4.07 किलोग्राम का 1.5 प्रतिशत =60 ग्राम इस प्रकार, जब्त की गयी हेरोइन की कुल मात्रा व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम से कम थी।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित: 1. एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्राॅपिक सब्सस्टेंस (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा

संशोधित किया गया था, जिसने स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों की मात्रा से जुडे श्रेणीबद्ध दंड प्रदान करके एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंड संरचना को तर्कसंगत बनाया। अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को क्रमशः धारा 2(xxiiia), 2(viia), के अधीन परिभाषित किया गया था। नई धारा 21 में अल्प, मध्यवर्ती और व्यावसायिक मात्रा में आपत्तिजनक वस्तुएं रखने के लिए आनुपातिक सजा का भी प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2001 को जारी नोटिफिकेशन की प्रविष्टि 56 जो कि हेरोइन से संबंधित है, के अनुसार अल्प मात्रा 5 ग्राम एवं व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम बतायी गयी है।

2. आपत्तिजनक पदार्थ का कब्जा एनडीपीएस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा क्योंकि हेरोइन एक अफीम व्युत्पन्न है धारा 2 (xvi) (e), के अनुसार 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फिन या किसी डायएसिटाइलमार्फिन युक्त सभी विनिर्मिति एक अफीम व्युत्पन्न है। इसके अतिरिक्त, धारा 2 (xi), के अधीन सभी अफीम व्युत्पन्न विनिर्मित औषधि की श्रेणी में आते हैं। अभियुक्त - अपीलार्थी के कब्जे में जो आपत्तिजनक पदार्थ पाया गया वह अफीम व्युत्पन्न है और इसलिए निर्मित औषधि है, जिसका कब्जा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, जो इस आशय के कुछ कार्यों पर रोक लगाती है कि कोई भी व्यक्ति उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग,

अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात या भारत से निर्यात या किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ को स्थांतरित करना (पैरा 10) (655-ई-एच)

3. प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शुद्धता की दर अप्रासंगिक है और कोई भी विनिर्मिति जो 250 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से अधिक है और यदि इसमें 0.2 प्रतिशत या इससे अधिक हेरोइन है तो वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी) के अधीन दंडनीय होगा। विधायिका का आशय मिश्रण में हानिकारक औषधि की मात्रा के आधार पर दंड देना है ना कि मिश्रण के वजन के आधार पर। किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के एक या अधिक तटस्थ पदार्थ/पदार्थों के मिश्रण में, किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ/पदार्थों की अल्प मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थ/पदार्थाें की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए यह केवल स्वापक औषधि के वजन के अनुसार वास्तविक सामग्री निर्धारित करने के प्रयोजन से प्रासंगिक है कि क्या यह अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी (पैरा 13) (656-एफ-एच; 657-ए-सी)

ओसेफ उर्फ थेन्कचन बनाम केरल राज्य (2004) 4 एससीसी 446; अमरसिंह रामजी भाई बरोट बनाम गुजरात राज्य (2005) 7 एससीसी 550 - निर्दिष्ट

4. विश्लेष्क की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पास जो स्वापक औषधि पायी गयी वह 60 ग्राम थी जो 5 ग्राम यानि अल्पमात्रा से अधिक है लेकिन 250 ग्राम व्यावसायिक मात्रा से कम है। 60 ग्राम मात्रा व्यावससायिक मात्रा से कम है लेकिन अल्प मात्रा से अधिक है और इस प्रकार अपीलार्थी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी केवल वाहक था ना कि सरगना, इन परिस्थितियों में यदि अभियुक्त अपीलार्थी की सजा को कम करके6 साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने तथा जुर्माना भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी जाये तो न्याय का उद्‌देश्य पूरा होगा। (पैरा 17-18) (660-डी-एफ)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नंबर 1250 वर्ष 2005

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्‌वारा आपराधिक अपील नंबर 185/2004 में दिनांक 25.08.2004 को पारित अंतिम निर्णय के विरूद्‌ध

अपीलार्थी की ओर से के.वी विश्वनाथन, एम. गिरीश कुमार, अवजीथ के. लाला और ख्वैरकपम नोबिन सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से विकास शर्मा, बीनू टमटा और सुषमा सुरी

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

पी.पी. नाओलेकर जे 1. यह विशेष अनुमति अपील केरल उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 185 वर्ष 2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.08.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा आरोपी-अपीलार्थी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्राॅपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 21(सी) में दोषसिद्ध किया गया है और दण्डादेश दिया गया, की पुष्टि की गयी।

2. प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य यह है कि दिनांक 05.03.2001 को, खुफिया अधिकारी को एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी थी कि कुछ औषधि के साथ दो व्यक्ति तिरूवनंतपुरम बस स्टेण्ड पर तमिलनाडु परिवहन निगम की बस से आएंगे। मुखबिर और अन्य व्यक्तियों के साथ अधिकारी बस स्टेण्ड पर गये और बस का इंतजार करने लगे, सुबह करीब 9 बजे दो अभियुक्त तमिलनाडु परिवहन निगम की बस से उतरे जिनकी मुखबिर द्वारा पहचान की गयी। अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और अपनी पहचान बतायी तथा आरोपियों की तलाश की गयी। जब उनसे मादक पदार्थ रखने के बारे में पूछा गया तो आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह चार किलोग्राम हेरोइन ले जा रहे थे और उन्होंने बैग अधिकारी को

सुपुर्द किया। बैग में तमिल अखबारों से लिपटे दो पैकेट थे जो भूरे रंग के चिपकने वाले टेप से सुरक्षित थे जिनमें हल्का भूरा पाउडर पाया गया। दोनों पैकेटों में से प्रत्येक से पांच ग्राम के दो सैम्पल पैक एवं सील करके प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया लेकिन दूसरा अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर ले जाते समय भाग गया। दिनांक 26.03.2001 को, सीमा शुल्क प्रयोगशाला, कोचीन में एक रिपोर्ट भेजी जिसमें सैम्पल एनडीपीएस अधिनियम के अधीन आने वाली स्वापक औषधि क्रूड हेरोइन की पुष्टि की गयी। रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगशाला मात्रात्मक परीक्षण के लिए सुसज्जित नहीं थी। नमूनों को मात्रात्मक परीक्षण के लिए भेजा गया। दिनांक 22.02.2002 को सीमा शुल्क प्रयोगशाला चेन्नई में मात्रात्मक परीक्षण किया गया जहां शुद्धता का परीक्षण किया गया और मात्रात्मक परीक्षण रिपोर्ट इस प्रकार बतायी गयी:-

क्र. सं.	कवर पर अंकन	लैब नंबर	प्लास्टिक कवर के साथ प्राप्त नमूने का वजन	प्लास्टिक कवर के साथ प्राप्त अवशेष का	शुद्धता

				वजन	
1.	एस 1	235	5.6 ग्राम	5.0 ग्राम	1.4 प्रतिशत
2.	एस 3	236	4.9 ग्राम	4.6 ग्राम	1.6 प्रतिशत

3. अभियुक्त-अपीलार्थी पर इंटेलिजेंस आॅफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) सपठित धारा 21 और 29 के अधीन अपराध के आरोप लगाये गये। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम ने पाया कि अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त पदार्थ में 1.4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत हेरोइन है अतः 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फिन या डायएसिटाइलमार्फिन है जो धारा 2(xv) में परिभाषित अफीम व्युत्पन्न है और धारा 2(xvi) (ई) के अधीन निर्मिति है, और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन दंडनीय है। चूंकि निर्मित औषधि का वजन 4.07 किलोग्राम था, इसलिए यह व्यावसायिक मात्रा होने के कारण धारा 21(सी) के अधीन आएगी लेकिन चूंकि आरोपी केवल वाहक है और लेन-देन का लाभार्थी नहीं है, इसलिए उसे अधिकतम सजा नहीं दी जाएगी और न्यूनतम 10 वर्ष के कठिन कारावास और 1,00,000 रूपये जुर्माने की सजा दी जाएगी तथा जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर

कारावास की सजा दी जाएगी। अपील प्रस्तुत किये जाने पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 को जब धारा 2(xi) के साथ पढा जाता है जो निर्मित औषधि परिभाषित करती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी से जब्तशुदा पैकेट एक निर्मित औषधि है। अपराध निर्मित औषधि के साथ साथ निर्मित औषधि की निर्मिति के संबंध में भी हो सकता है। निर्मिति को धारा 2(xx) में परिभाषित किया गया है। अन्य पदार्थों के साथ स्वापक औषधि का कोई भी मिश्रण एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन आता है इसलिए शुद्धता की दर अप्रासंगिक हो जाती है। शुद्धता परीक्षण से अभियुक्त को लाभ प्राप्त नहीं होता है। उच्च न्यायालय के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन सजा देने के लिए मिश्रण की पूरी मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गयी दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के.वी. विश्वनाथन द्वारा किया गया एक मात्र निवेदन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपीलार्थी की सजा से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के विपरीत है क्योंकि उसके पास से जब्तशुदा सामग्री की कुल मात्रा 4.07 किलोग्राम थी। चूंकि दोनों

नमूनों में हेरोइन की शुद्धता क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत है इसलिए कब्जे से हेरोइन की कुल मात्रा केवल 60 ग्राम (1.4+1.6)/2=4.07 किलोग्राम का 1.5 प्रतिशत 60 ग्राम) इस प्रकार जब्तशुदा हेरोइन की कुल मात्रा 250 ग्राम से कम है यानी वाणिज्यिक मात्रा से कम है। उनके द्वारा तर्क किया गया कि कथित तौर पर जब्तशुदा पदार्थ का कुल वजन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वजन में परिवर्तित हेरोइन की प्रतिशम सामग्री प्रासंगिक है।

5. इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकास शर्मा का निवेदन रहा है कि केवल अपीलार्थी के कब्जे में पाये गये और पास से जब्तशुदा किये गये पदार्थ का वजन देखा जाना चाहिए और एक बार पदार्थ का परीक्षण हेरोइन के लिए सकारात्मक हो जाने के बाद पदार्थ में इसकी प्रतिशत सामग्री अप्रासंगिक थी। पूरे पदार्थ को एक मादक पदार्थ के रूप में देखा जाएगा और परिणामस्वरूप पदार्थ के कुल वजन को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा थी।

6. एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सस्टेंस (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 9) (2.10.2001 से) द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के अधीन स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों

की मात्रा ले जाने के लिए दंड संरचना को तर्क संगत बनाकर वर्गीकृत दंड के प्रावधान किया था। इस प्रकार, संशोधन अधिनियम द्वारा, दंड संरचना में महत्वूपर्ण परिवर्तन किया गया। अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को धारा 2(xxiiia) और धारा 2(viia) के अधीन परिभाषित किया गया था। नई धारा 21 में अल्प, मध्यवर्ती और व्यावसायिक मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री रखने पर भी आनुपातिक सजा का प्रावधान है। हेरोइन से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 की प्रविष्टि 56 के अनुसार अल्प मात्रा 5 ग्राम बतायी गयी है तथा व्यावसायिक मात्रा250 ग्राम बतायी गयी है, इसलिए निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में शामिल उल्लंघन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन अल्प, मध्यवर्ती या वाणिज्यिक मात्रा है और अभियुक्तगण से जब्तशुदा मात्रा का पता लगाने के लिए क्या पदार्थ का कुल वजन प्रासंगिक है या वजन में अनुवादित हेरोइन सामग्री का प्रतिशत प्रासंगिक है।

7. पक्षों के तर्कों का विवेचन करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं पर गौर करना होगा जो इस प्रकार है:-

धारा 2(viia) (2001 के संशोधन अधिनियम संख्या 9 द्वारा दिनांक 02.10.2001 से अंतः स्थापित)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा से केन्द्रीय सरकार द्‌वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा है;

धारा 2(xxiiia) (2001 के संशोधन अधिनियम संख्या 9 द्‌वारा दिनांक 02.10.2001 से अंतः स्थापित)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में अल्प मात्रा से केन्द्रीय सरकार द्‌वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतर कोई मात्रा अभिप्रेत है।

धारा 2(xvi) अफीम के व्युत्पाद से अभिप्रेत है:-

(ए) औषधीय अफीम अर्थात् ऐसी अफीम जिसका भारतीय भेषजकोष या केन्द्रीय सरकार द्‌वारा इन निमित अधिसूचित किसी अन्य भेषजकोष की अपेक्षाओं के अनुसार औषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रसंस्कार कर दिया गया है, चाहे वह चूर्ण के रूप में या कणिका के रूप में या अन्यथा हो अथवा निष्प्रभावी पदार्थों से मिश्रित हो;

(बी) निर्मित अफीम अर्थात् अफीम को धूम्रपान के उपयुक्त सार में रूपांतरित करने के लिए परिकल्पित किन्ही क्रमबद्‌ध

संक्रियाओं द्वारा अभिप्राप्त अफीम का कोई उत्पाद और अफीम का धूम्रपान करने के पश्चात् बचा हुआ कोई मंडूर या अन्य अवशेष;

(सी) फिनेंथ्रन एल्केलाइड, अर्थात् मार्फीन, कोडीन, थिवेन और उनके लवण

(डी) डाइऐसीटल मार्फीन अर्थात् ऐल्केलाइड जिसे डाई-मार्फीन या हेरोइन कहा जाता है और उसका लवण; और

(ई) सभी निर्मितियां, जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फीन या डाइऐसीटल मार्फीन हो;

धारा 2(xi) विनिर्मित औषधि से अभिप्रेत है,

(ए) सभी कोका डेरिवेटिव, औषधीय कॉनबिस, अफ़ीम डेरिवेटिव और पोस्ता तृण का सांद्रण;

(बी) कोई भी अन्य स्वापक पदार्थ या निर्मिति जिसे केंद्र सरकार, इसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन के अधीन उसकी प्रकृति के या विनिश्चय के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, किसी, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्मित औषधि घोषित कर सकती है।

लेकिन इसमें कोई भी स्वापक पदार्थ या निर्मिति नहीं है, जिससे केंद्र सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन के अधीन उसकी प्रकृति के या किसी विनिश्चय के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्मित औषधि ना घोषित करे।

धारा 21 विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड -

2001 के संशोधन अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित, 2.10.2001 से प्रभावी जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या दिए गए लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करते हुए, किसी भी विनिर्मित औषधि या विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, बेचना, खरीदना, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात या उपयोग करना दंडनीय होगा -

(ए) जहां उल्लंघन में अल्प मात्रा शामिल है, छह महीने तक का कठोर कारावास, या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ

(बी) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन अल्प मात्रा से अधिक मात्रा शामिल है, वहां दस साल तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

(सी) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, कठोर कारावास जिसकी अवधि दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन दो लाख रूपये हो सकेगा।

बशर्ते कि न्यायालय निर्णय में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है।

8. संशोधन अधिनियम 2001 से संबंधित उद्देश्य एवं कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए निवारक दंड प्रदान करता है। अधिकांश अपराधों में समान दंड न्यूनतम 10 वर्ष के

कठोर कारावास जिसे 20 वर्ष तक बढाया जा सकता है, होती है जबकि अधिनियम में स्वापक औषधि की तस्करी के लिए कठोर सजा की परिकल्पना की गयी है। यह नशे की लत के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। विचारण में सामान्य देरी को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया गया है कि नशे की लत वाले व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना पसंद नहीं करते हैं। अधिनियम के अधीन जमानत के प्रावधान उनके दुख को और बढाते हैं।

इसलिए दंड संरचना को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बडी मात्रा में स्वापक औषधि की तस्करी करने वाले ड्रग तस्करों को निवारक सजा दी जाये, एवं नशे की लत वाले लोग एवं कम गंभीर अपराध करने वालों को कम गंभीर सजा दी जाये। इसके लिए अधिनियम के अधीन प्रदान की गयी दंड संरचना को तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है। यह उन अपराधियों के लिए कठोर जमानत प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित करने का भी प्रस्ताव है जो गंभीर अपराध में संलिप्त है।

9. अपीलार्थी के कब्जे में पाया गया पदार्थ अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 56 या प्रविष्टि संख्या 239 के अंतर्गत है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.08.2001 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

एसओ 1055(ई) दिनांक 19.10.2001 - स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viia) और खंड (xxiiia) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना एसओ 527 (ई) दिनांक 16.07.1996 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गयी या की जाने वाली छोडी गयी बातों को छोडकर, केन्द्र सरकार इसके द्वारा उक्त तालिका के कॉलम 2 से 4 में सबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के संबध में नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 5 और 6 में उल्लेखित मात्रा को उक्त धारा के उक्त खण्डों के प्रयोजनों के लिए क्रमशः अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के रूप में निर्दिष्ट करती है।

क्र.सं.	नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ का नाम	अन्य गैर स्वामित्व का नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/किलोग्राम में)

56	हेरोइन		डायसिटाइल मार्फिन	5	250 ग्राम
239	उपरोक्त दवाओं में से किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण या तैयारी		---	*	**

*ऊपर उल्लेखित संबंधित स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों के विरूद्ध दी गयी मात्रा के बीच की अल्प मात्रा मिश्रण का हिस्सा बनती है।

**मिश्रण का हिस्सा बनने वाली उपर उल्लेखित संबंधित स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों के विरूद्ध दी गयी मात्राओं के बीच व्यावसायिक मात्रा का कम होना।

10. आपत्तिजनक पदार्थ का कब्ज़ा एनडीपीएस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा , क्योंकि धारा 2(xvi)(e) के अनुसार सभी निर्मितियों में 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन या किसी डायएसिटाइलमॉर्फिन युक्त होता है, अफीम व्युत्पन्न है जिसके अनुसार हेरोइन एक अफीम व्युत्पन्न है। इसके अलावा, धारा 2(xi) के अनुसार, सभी अफीम व्युत्पन्न निर्मित औषधि की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपत्तिजनक पदार्थ एक अफीम व्युत्पन्न है और एक निर्मित औषधि है, इसलिए जिसका कब्जा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो कुछ कार्यों को इस आशय से प्रतिबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति स्वापक औषधि एवं मंनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, अपने पास रखना, बेचना, खरीदना, परिवहन करना, भंडारण करना, उपयोग करना, उपभोग करना, अंतरराज्यीय आयात करना, अंतरराज्यीय निर्यात करना, भारत में आयात करना, भारत से निर्यात करना या परिवहन करना, नहीं करेगा।

11. वर्तमान मामले में, आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे में जो अफीम व्युत्पन्न पाया गया है, वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के तहत निषिद्ध है और इस प्रकार इसकी धारा 21 के तहत दंडनीय है। आपत्ति सिर्फ सजा की मात्रा को लेकर है।

12. संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप , दंड संरचना में भारी बदलाव आया। संशोधित अधिनियम ने पहली बार धारा 2 में खंड (viia) प्रतिस्थापित कर स्वापक औषधि या मनः पदार्थों के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा की अवधारणा पेश की, जो केंद्र सरकार के अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा के रूप में परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त, अल्प मात्रा शब्द को धारा 2 , खंड (xxiiia) में परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अल्प मात्रा है। तर्कसंगत दंड संरचना के तहत, सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आपत्तिजनक सामग्री की मात्रा 'अल्प मात्रा' है, 'व्यावसायिक मात्रा' है या बीच में कुछ है।

13. 2001 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का आशय दंड संरचना को तर्कसंगत बनाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वापक औषधि के तस्कर जो महत्वपूर्ण मात्रा में औषधि की तस्करी करते हैं, उन्हें निवारक सजा से दंडित किया जाए तथा नशे की लत वाले व्यक्तियों और कम गंभीर अपराध करने वालों को कम कठोर सजा दी जाए। तर्कसंगत दंड संरचना के तहत, आपत्तिजनक सामग्री की मात्रा के आधार पर सजा अलग-अलग होगी। इस प्रकार, हमें प्रतिवादी की ओर से दिए गए तर्क को

स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि शुद्धता की दर अप्रासंगिक है एवं किसी भी विनिर्मिति जो 250 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से अधिक है, और इसमें 0.2 प्रतिशत या अधिक हेरोइन शामिल है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत दंडनीय होगा, क्योंकि विधायिका का आशय जैसा कि हमें प्रतीत होता है, मिश्रण में आपत्तिजनक दवा की सामग्री के आधार पर सजा देना है, न कि मिश्रण के वजन पर जैसे इसका परीक्षण निम्नलिखित तर्क पर किया जा सकता है, मान लीजिए एक अभियुक्त के पास से 4 ग्राम. हेरोइन बरामद की जाती है, तो यह थोड़ी मात्रा होगी, लेकिन जब वही 4 ग्राम को 50 किलोग्राम संचालित चीनी की मात्रा के साथ मिलाया जाता है तो व्यावसायिक मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाएगा। एक या अधिक तटस्थ पदार्थ/पदार्थों के साथ किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के मिश्रण में, किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ की अल्प मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थ/पदार्थों की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यह केवल मादक पदार्थ के वजन के आधार पर वास्तविक सामग्री होती है जो यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है कि यह अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, संशोधन पेश करने के पीछे विधायिका का आशय उन व्यक्तियों को कम गंभीर दंड से दंडित करना है जो कम गंभीर अपराध करते हैं और जो गंभीर अपराध

करते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण मात्रा में तस्करी, उन्हें अधिक कठोर दंड से दंडित करना है।

14. ओसेफ उर्फ थंकाचन बनाम केरल राज्य , (2004) 4 एससीसी 446 के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार माना हैः

> हमारे द्वारा विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या मनः प्रभावी पदार्थ कम मात्रा में था और यदि हां, तो क्या यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए था। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23-7-1996 की अधिसूचना द्वारा अल्प मात्रा शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार अल्प मात्रा 1 ग्राम निर्दिष्ट की गई है। यदि हां, तो अपीलकर्ता से बरामद मात्रा केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अल्प मात्रा की सीमा से काफी कम है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक इंजेक्शन की शीशी में केवल 2 मिलीलीटर निहित है और प्रत्येक मिलीलीटर में केवल 0.3 मिलीग्राम होता है। इसका आशय है कि अपीलकर्ता के पास पाई गई कुल मात्रा केवल 66 मिलीग्राम थी। यह अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट अल्प मात्रा की सीमा के 1/10 वें हिस्से से कम है।

उपरोक्त निर्णय से, हम पाते हैं कि न्यायालय ने मिश्रण में पाए जाने वाले मादक द्रव्य या मनः प्रभावी पदार्थ की मात्रा को सजा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक बना लिया है।

15. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में अमरसिंह रामजीभाई बारोट बनाम गुजरात राज्य , (2005) 7 एससीसी 550 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया कि सजा देते समय आपत्ति जनक सामग्री की परवाह किये बिना कब्जे में पायी गयी सम्पूर्ण सामग्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमरसिंह मामले (उपरोक्त) में, दो व्यक्तियों, अमरसिंह और दानाभाई को गिरफ्तार किया गया था। अमरसिंह के पास एक प्लास्टिक बैग पाया गया, जिसमें 920 ग्राम वजनी काले रंग का तरल पदार्थ था। इसी प्रकार 4.250 कि.ग्रा. भूरे रंग का पदार्थ दानाभाई के पास से बरामद किया गया। नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को भेजे गए। एफएसएल रिपोर्ट ने संकेत दिया कि अमरसिंह का नमूना एनडीपीएस अधिनियम में वर्णित अफीम था, जिसमें पोस्त के फूलों के टुकड़ों के अलावा 2.8 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन था और दानाभाई से संबंधित नमूने को एनडीपीएस अधिनियम में वर्णित अनुसार अफीम बताया गया था , जिसमें 1.2 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन था। और इसमें पोस्त के फूलों के टुकड़े भी हैं। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के साथ सपठित धारा 15, 17 और 18 के अधीन

आरोप लगाए गए और उन पर विचारण किया_गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 17 और 18 सपठित धारा 29 के अधीन दोषसिद्धि सही नहीं थी, लेकिन अमरसिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी) के अधीन और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 सपठित धारा 21(सी) के अधीन व्यक्तिगत रूप से अफीम रखने और अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से षड़यंत्र रचने के लिए सिद्धदोष किया गया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के पास व्यावसायिक मात्रा पाई और उसे सिद्धोष किय और 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जिससे व्यथित होकर अमरसिंह ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने फैसले के पैरा 14 में निम्नानुसार कहा हैः

> ऐसा कोई स्वीकार्य साक्ष्य प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता के पास पाया गया काला पदार्थ अफीम पोस्त का जमा हुआ रस और अफीम पोस्त के जमे हुए रस का किसी भी तटस्थ पदार्थ के साथ या उसके बिना कोई मिश्रण था। एफएसएल ने अपनी राय दी है कि यह एनडीपीएस एक्ट में वर्णित अफीम है वह न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है।
>
> न्यायालय ने आगे कहा कि साक्ष्य यह भी नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता से बरामद पदार्थ धारा 2(xvi) के

उप-खंड (ए), (बी), (सी) या (डी) के अधीन आएगा , लेकिन अवशिष्ट खंड (ई) लागू होगा और परिणामस्वरूप यह अफीम व्युत्पन्न की श्रेणी में आएगा क्योंकि सभी अफीम व्युत्पन्न निर्मित औषधियों अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता से जो बरामद किया गया था वह निर्मित औषधि थी और यह अपीलकर्ता के विरूद्ध साबित हुआ अपराध स्पष्ट रूप से निर्मित औषधि के अवैध कब्जे के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने पैरा 17 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला और कहाः

उक्त अधिसूचना में अफीम डेरिवेटिव के संबंध में (क्रम संख्या 93 पर) 5 ग्राम को छोटी मात्रा और 250 ग्राम को वाणिज्यिक मात्रा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि अपीलकर्ता निर्मित औषधि की व्यावसायिक मात्रा के अवैध कब्जे का दोषी था। नतीजतन, उनका मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के खंड (सी) के अंतर्गत आएगा, न कि खंड (ए) या (बी) के अंतर्गत।

इसलिए, इस न्यायालय ने धारा 21 (सी) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की न्यूनतम सजा को बरकरार रखा है।

16. अमरसिंह मामले (उपरोक्त) को पढ़ने पर, हमें यह नहीं मिला कि न्यायालय एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के मिश्रण के सवाल पर विचार कर रहा था। वास्तव में न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा ही नहीं था। काले रंग के तरल पदार्थ को अफीम व्युत्पन्न के रूप में लिया गया था और एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें 2.8 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन था, जिसे केवल धारा 2 (xvi) (ई) के दायरे में लाने के उद्देश्य से माना गया था, जिसके लिए अफीम व्युत्पन्न न्यूनतम 0.2 प्रतिशत मॉर्फीन की आवश्यकता होती है। 2.8 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन की पाई गई सामग्री को यह तय करने के प्रयोजनों के लिए बिल्कुल भी नहीं माना गया कि बरामद पदार्थ अल्प या वाणिज्यिक मात्रा थी और न्यायालय ने पूरे पदार्थ को, जो एक या अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं था, एक अफीम व्युत्पन्न के रूप में माना। इस प्रकार, अमरसिंह मामले (उपरोक्त) को प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राधिकारी के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अधीन सजा देने के उद्देश्य से बरामद और जब्त किए

गए पूरे पदार्थ पर विचार किया जाएगा, भले ही इसमें स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ की मात्रा कुछ भी हो। हमारा विचार है कि जब कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ एक या अधिक तटस्थ पदार्थ/पदार्थों के साथ मिश्रित पाया जाता है, तो सजा देने के उद्देश्य से इसमें स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ की सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा।

17. वर्तमान मामले में, विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता के कब्जे में जो स्वापक औषधि पाई गई वह 60 ग्राम है, जो 5 ग्राम यानि अल्प मात्रा से अधिक है, लेकिन 250 ग्राम यानि वाणिज्यिक मात्रा से कम है, 60 ग्राम मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, लेकिन अल्प मात्रा से अधिक है और, इस प्रकार, अपीलकर्ता एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (बी) के अधीन दंडनीय होगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता केवल एक वाहक है और सरगना नहीं है।

18. इन परिस्थितियों में, यदि हम अभियुक्त-अपीलकर्ता की सजा को कम करके 6 साल के कठोर कारावास के साथ 20,000/- रुपये के जुर्माने और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा कर दें तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। हम तदनुसार आदेश करते हैं।

19. अभियुक्त-अपीलार्थी दिनांक 6.3.2001 से अभिरक्षा में बताया गया है। इसलिए, वह उस पर अधिरोपित सजा काट चुका है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

20. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अमित सहलोत पोक्सो कोर्ट संख्या 02, चित्तौड़गढ़, द्वारा किया गया हैं।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।